जनजागरण अभियान सह विधिक जागरूकता पदयात्रा (चतुर्थ चरण)
जिला : जामताड़ा

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जामताड़ा, श्री मनोरंजन कवि एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा श्री प्रभाकर सिंह द्वारा जागरूकता रथ को झण्डी दिखाकर रवाना करते हुए

बुधवार, 20 अगस्त, 2014

झारखंड का सर्वाधिक प्रसारित दैनिक

प्रभात खबर

अखबार नहीं आंदोलन

देवघर, रांची, पटना, जमशेदपुर, धनबाद, कोलकाता, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया से प्रकाशित

जामताड़ा

अभियान . विधिक जागरूता पदयात्रा जत्था रवाना

कानून की मिलेगी जानकारी

कोर्ट प्रतिनिधि, जामताड़ा

झालसा और नालसा के मार्ग निर्देशन पर जन जागरण अभियान सह विधिक जागरूकता पदयात्रा जत्था को व्यवहार न्यायालय परिसर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि ने झंडी दिखा कर रवाना किया. पद यात्रा अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के तत्वावधान और संगठन के जिला अध्यक्ष लक्ष्मी दुबे व संयोजक जयराम राव के नेतृत्व में निकला. इसमें मौजूद नाटक मंडली लोगों को नाटक के माध्यम से जागरूक करेंगे.

इसके माध्यम से 498ए, डायन प्रथा, बाल श्रमिक, निःशुल्क विधिक सहायता आदि की जानकारी दी जायेगी. संगठन के विधिक सेवक और पदयात्रा के सदस्य जामताड़ा शहरी ग्रामीण के अलावा नारायणपुर, कुंडहित, नाला, करमाटांड़, फतेहपुर प्रखंड में आमजनों को जागरूक करेंगे. यह जानकारी सब जज सह डीएलएसए के सचिव प्रभाकर सिंह ने दी. मौके पर रजिस्ट्रार सूर्यमणी त्रिपाठी के अलावे मिंटू अग्रवाल, संजय अग्रवाल, श्यामनंदन सहाय, दीपक कुमार, एलभीएस के सदस्य और अधिवक्ता उपस्थित थे.

फोटो। प्रभात खबर

विधिक जागरूकता जत्था को झंडी दिखाते प्रधान जिला जज.

दैनिक भास्कर धनबाद, बुधवार, 20 अगस्त, 2014 जामताड़ा

प्रधान जिला जज ने विधिक जागरूकता रथ को झंडी दिखा किया रवाना

कानून के प्रति लोगों को जागरूक करेगा रथ

» ग्रामीण इलाके में लोगों को कानूनी जानकारी देगा रथ

भास्कर न्यूज़|जामताड़ा

विधिक शिक्षा करें स्वीकार, पाएं अपना अमूल्य अधिकार स्लोगन के साथ मंगलवार को विधिक जागरूकता रथ को जामताड़ा के प्रधान जिला जज मनोरंजन कवि द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। व्यवहार न्यायालय परिसर से निकला यह रथ जिले के सभी छह प्रखंड में घूमेगा और लोगों को कानूनी जानकारी देगा।

विधिक जागरूकता अभियान के तहत यह रथ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा, झालसा एवं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के संयुक्त तत्वावधान में निकाला गया यह रथ जनजागरण अभियान सह विधिक जागरूकता पदयात्रा अभियान के तहत न केवल लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करेगा बल्कि लोगों को निःशुल्क कानूनी जानकारी व सहायता दी जाएगी। साथ ही लोगों की समस्याओं से संबंधित आवेदन भी प्राप्त करेगा। जिसे बाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष व सचिव को कार्रवाई के लिए दिया जाएगा।

रथ को रवाना करते न्यायिक पदाधिकारी।

15 अगस्त से चौथा चरण आरंभ

जन जागरण अभियान सह विधिक जागरूकता पद यात्रा अभियान के तीन चरण में अबतक राज्य के रांची, गुमला, लोहरदग्गा, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, सरायकेला-खरसांवा, चतरा में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया गया है। जबकि चौथे चरण की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने हरी झंडी दिखाकर की थी।

जामताड़ा, साहेबगंज, देवघर व गोड्डा जिलों में जाएगा रथ

चौथे चरण में यह रथ जामताड़ा, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा जिला में सघन विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा के सचिव प्रभाकर सिंह, न्यायिक पदाधिकारी सूर्यमणि त्रिपाठी, जयराम राय, अधिवक्ता लक्ष्मी दुबे, सविता दां, मुकेश सिंह, चेंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष मिंटू अग्रवाल, सचिव संजय अग्रवाल, सहायक श्याम नंदन सहाय, नरेंद्र नारायण, दीपक सिंह, पीएलवी रीता शर्मा, प्रीति कुमार, संदीप गुप्ता एवं पिंटू गुप्ता, विधिक सेवक बिहारीलाल, प्रमोद कुमार प्रजापति, मनवीर सिंह, स्नेहलता दुबे, नीतू, कृष्ण कुमार, मनीष कुमार, मनोज कुमार, मो रहीम अंसारी, मो मोजीब खान सहित अन्य लोग उपस्थित थे। नुक्कड़ नाटक का संचालन सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सदस्य चंदन एवं राकेश कुमार के नेतृत्व में की जाएगी।

इन-इन जगहों पर जाएगा जागरूकता रथ

यह जागरूकता रथ जिले के विभिन्न प्रखंड जामताड़ा, नारायणपुर, कुंडहित, नाला, फतेहपुर, करमाटांड़, जामताड़ा व मिहिजाम शहरी क्षेत्र में लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उनके अधिकार व कर्तव्य की जानकारी देगी। साथ ही कन्या भ्रूण हत्या, डायन प्रथा, दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न, मनरेगा योजना, बाल श्रम उन्मूलन विषयों पर कानूनी जानकारी दी जाएगी।

अधिकार व कर्त्तव्य दोनों की होनी चाहिए जानकारी

जागरूकता रथ को रवाना करने के बाद प्रधान जिला जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोरंजन कवि ने कहा कि जिलेवासियों को कानून की जानकारी प्राप्त करने में यह जागरूकता रथ काफी सार्थक सिद्ध होगी। लोगों को अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य की भी जानकारी होनी चाहिए। ताकि न तो कोई व्यक्ति का अधिकार हनन कर सके और न ही कोई व्यक्ति समाज व देश निर्माण में अपने कर्तव्य से विमुख हो सके। रथ द्वारा लोगों को नालसा की निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

जनजागरण अभियान सह विधिक जागरूकता पदयात्रा (चतुर्थ चरण)

दिनांक : 12.01.2015

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज श्री ओ०पी० पाण्डेय एवं माननीय डा० एम०एस० पाठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अ०मा०स०, दिल्ली द्वारा जागरूकता रथ को झण्डी दिखा कर रवाना करते हुए।

जनजागरण अभियान सह विधिक जागरूकता पदयात्रा (चतुर्थ चरण)
जिला : साहेबगंज

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के विधिक स्वयंसेवकों का
जनसम्पर्क एवं जन जागरूकता अभियान

जिला - साहिबगंज

दैनिक जागरण

13 जनवरी 2015

जनजागरण अभियान को दिखाई हरी झंडी

जनजागरण अभियान को हरी झंडी दिखाते जिला जज — जागरण

[illegible]

12-01-015

हिन्दुस्तान
तरक्की को चाहिए नया नजरिया
गुरुवार, 15 जनवरी 2015 देवघर, वर्ष 5, अंक 13, 16 पेज, पांच प्रदेश, 18 संस्करण
www.livehindustan.com

साहिबगंज/राजमहल/बरहड़वा

विधिक जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन

राजमहल में नुक्कड़ नाटक का मंचन करते कलाकार। • हिन्दुस्तान

राजमहल | प्रतिनिधि

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के [illegible] नुक्कड़ नाटक का [illegible] विधिक जागरूकता का [illegible] दिया।

निदेशक [illegible] कुमार ने बताया कि [illegible] कानूनी [illegible] सुविधाओं के बारे में बताया गया। [illegible] विधिक जागरूकता [illegible] अभियान के [illegible] लोगों को बताया कि कानूनी [illegible] लोगों को [illegible] कानूनी अधिकार दिलाने में मदद करती है।

इस दौरान [illegible] कुमार, [illegible] आदि ने सहयोग दिया।

14-01-015

जनजागरण अभियान सह विधिक जागरूकता पदयात्रा (चतुर्थ चरण)

दिनांक -22.09.2014 **जिला : गोड्डा**

माननीय श्री रामनरेश मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गोड्डा, जिला जज (2) श्री वंशीधर तिवारी, जज श्री पंकज कुमार, सी.जे.एम श्री डी०सी० मिश्रा, एस.डी.जे.एम. श्री वाई.के.सिंह एवं डी.एल.एस.ए., गोड्डा, सचिव श्री आनंद प्रकाश एवं अ.मा.सं. के संथाल परगना अध्यक्ष नूर इमाम द्वारा जागरूकता रथ को झण्डी दिखाकर रवाना करते हुए

जनजागरण अभियान सह विधिक जागरूकता पदयात्रा (चतुर्थ चरण)

जिला : गोड्डा, प्रखण्ड : महँगामा

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के सांस्कृतिक मंच द्वारा नुक्कड़ नाटक

22-09-014

हिन्दुस्तान
तरक्की को चाहिए नया नजरिया
मंगलवार, 23 सितम्बर 2014 देवघर, वर्ष 4, अंक 222, 16 पेज, पांच प्रदेश, 18 संस्करण www.livehindustan.com

'जागरूकता पदयात्रा' निकाल लोग बता रहे उनके अधिकार

देवघर | संवाद सूत्र

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के जनजागरण अभियान तह विधिक 'जागरूकता पदयात्रा' को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनरेश मिश्रा ने सोमवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

अभियान के तहत जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ विभिन्न प्रखंडों के आमलोगों से सघन जनसंपर्क कर उन्हें उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के अलावे नालसा की निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी योजना की भी विस्तृत जानकारी दिया जाएगा।

संगठन के संथाल परगना प्रभारी नूर आलम ने बताया कि इस अभियान के तीन चरणों में झारखंड के बारह जिलों में सघन जनसंपर्क कर लोगों में विविध जागरूकता संबंधी प्रचार प्रसार किया जा चुका है तथा इसकी चतुर्थ चरण के तहत पदयात्रा की शुरूआत जामताड़ा जिले से 19 सितम्बर को की गई है। इस अभियान के तहत न केवल लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा बल्कि उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी जानकारी भी दी जाएगी एवं उनका आवेदन प्राप्त कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार को समर्पित भी किया जाएगा। जागरूकता अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के सदस्य एवं राकेश कुमार के नेतृत्व में विभिन्न प्रखंडों में नुक्कड़ नाटकों का भी मंचन किया जाएगा। इस मौके पर जिला जज संजीव तिवारी, पंकज कुमार, सीजेएम जी सी मिश्रा, एसडीजेएम वाय. के सिंह, प्राधिकार के सचिव आनंद प्रकाश के अलावे योगेश कुमार, नरेन्द्र कुमार सिंह, बिहारीलाल, अनिल कुमार सागर, पायल, बंटू, रणधीर सिंह, रामनाथ राजवीर, अरविंद, प्रताप सिंह, सतीश दुबे सहित कई लोग उपस्थित थे।

सोमवार को 'जागरूकता पदयात्रा' को रवाना करते प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

जनजागरण अभियान सह विधिक जागरूकता पदयात्रा (चतुर्थ चरण)

दिनांक : 09.02.2015 जिला : देवघर

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री प्रदीप कुमार चौरसिया, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, देवघर के सचिव, माननीय कुमार क्रांति एवं माननीय डॉ०एम०एस० पाठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, दिल्ली द्वारा जागरूकता रथ को झण्डी दिखाकर रवाना करते हुए

जनजागरण अभियान सह विधिक जागरूकता पदयात्रा (चतुर्थ चरण)

जिला : देवघर, दिनांक - 11.02.2015 प्रखण्ड : सारवाँ

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के सांस्कृतिक मंच द्वारा नुक्कड़ नाटक

हिन्दी जगत में सर्वाधिक लोकप्रिय

आज

पटना मंगलवार १० फरवरी २०१५ [illegible]

खेल
टीम इंडिया को योद्धा बनने की जरूरत

संपादकीय
बजटमें विकासका मुद्दा

रणवीर

इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, आगरा, बरेली, पटना (कोलकाता संस्करण), रांची

जन जागरण-सह-विधिक जागरूकता पद यात्रा शुरू

(देवरा कार्यालय)

देवरा कोर्ट। देवरा न्यायालय परिसरसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनके जनजागरण अभियान सह विधिक जागरूकता पदयात्राको प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश [illegible] ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा के दौरान शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रोंमें आम लोगोंसे सम्पर्क कर उन्हें उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता करनेके अलावा निःशुल्क विधिक सहायता सम्बन्धी योजनाओंकी विस्तृत जानकारी दी। इस अवसरपर पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश [illegible] सचिव कुमार [illegible], न्यायिक पदाधिकारी एवं विद्वान अधिवक्ता [illegible] सिंह, [illegible], [illegible] शर्मा, अनिता चौधरी आदि उपस्थित थे एवं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनके राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. [illegible] पाठक और उनके सदस्यगण उपस्थित थे। गौरतलब हो कि इस पदयात्राकी शुरुआत १५ अगस्त २०१४ को रांचीके [illegible] कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति [illegible] ने हरी झंडी दिखाकर की गयी थी। [illegible] पदयात्रा [illegible] एवं साहेबगंज जिलेके [illegible] ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रोंमें भ्रमण [illegible] करते हुए ८ फरवरीको देवरा पहुंचा। सचिव [illegible] ने कहा कि इस विधिक जागरूकता अभियानके तहत न केवल लोगोंको उनके अधिकारों एवं कर्तव्योंके प्रति जागरूकता ही नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें निःशुल्क विधिक सेवा संबंधित जानकारी देते हुए उनसे आवेदन पत्र भर प्राधिकारको समर्पित करेंगे। साथ ही संगठनके सांस्कृतिक प्रकोष्ठके सदस्य [illegible] पाठक एवं राकेश कुमारके नेतृत्वमें जगह-जगहपर नुक्कड़ नाटकका मंचन किया जाएगा। नुक्कड़ नाटकके माध्यमसे भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, शिक्षाका अधिकार, डायन प्रथा आदि विषयोंपर लोगोंका ध्यान केन्द्रित कर इस कुप्रथाओंपर रोक लगाने की प्रेरणा देंगे और उन्हें कुरीतियोंके प्रति जागरूक करेंगे। पदयात्रा समारोहमें आगंतुकोंका स्वागत अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनके अध्यक्ष [illegible] ने किया। साथ ही विधि [illegible] एवं [illegible], सुशील पाठक, [illegible] दुबे, [illegible], [illegible] कुमार, [illegible] कुमार, [illegible], [illegible] पाठक, [illegible] यादव, [illegible] यादव, प्रदीप प्रजापति, [illegible] कुमार सिंह, [illegible] चौधरी, [illegible] ठाकुर, अनिल कुमार [illegible], संजय पाठक आदि शामिल थे।

10/2/015

धनबाद, बुधवार
11 फरवरी 2015

देवघर

विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार

दैनिक जागरण

नुक्कड़ नाटक से लोगों को किया जागरूक

संवाद सहयोगी, मोहनपुर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले मोहनपुर की प्रखंड मुख्यालय में जन जागरण अभियान तह विधिक जागरूकता पखवाड़ा एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नाटक के जरिये दहेज प्रथा, बाल श्रम, बाल विवाह, महिला उत्पीड़न सहित अन्य बिंदुओं की जानकारी दी गयी। बताया गया कि इसकी देखभाल कैसे की जाए। इसके कानूनी पहलुओं की भी जानकारी दी गयी। विधिक सहायता के बारे में बताया गया कि इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है। किस प्रकार इसकी सेवा ली जाए, इसकी भी पूरी जानकारी लोगों को दी गयी। कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन से अजय कुमार मिश्र, बिहारी यादव, हरिशंकर यादव, सतीश भंडारी, नीतू, सुशील पाठक, नरेश पाठक ने भाग लिया।

नाटक से जागरूक करते कलाकार